

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प.5(1)साप्र/3/2011

जयपुर, दिनांक:

--:परिपत्र:--

मुख्य महाप्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड, राजस्थान परिमण्डल, जयपुर के द्वारा राज्य सरकार के विभागों एवं राज्य सरकार के स्वामित्व में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगम, बोर्ड, मण्डल में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदत्त इन्टरनेट/ब्रान्डबैण्ड/लैण्डलाइन/लीज्ड लाईन सेवायें उपयोग में लाये जाने की व्यवस्था चाही गयी है। वर्तमान में भारत सरकार (F.No. 19-1/2019-SU-I Ministry of Communications Department of Telecommunications) के सभी मंत्रालयों, केन्द्र सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई), केन्द्रीय स्वायत्त निकायों आदि द्वारा इन्टरनेट/ब्रान्ड बैण्ड/लैण्डलाइन/लीज्ड लाईन सेवाओं के लिये भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलिफोन लिमिटेड के नेटवर्क की क्षमताओं के अनिवार्य उपयोग की व्यवस्था को लागू किया गया है।

उक्त परिपेक्ष्य में राज्य सरकार के विभागों एवं राज्य सरकार के स्वामित्व में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगम, बोर्ड, मण्डल में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदत्त इन्टरनेट/ब्रान्डबैण्ड/लैण्डलाइन/लीज्डलाईन की विश्वसनीय सेवाओं का उपयोग अपनी आवश्यकतानुसार किया जावे। अनुरोध है कि इस संबंध में अपने अधीनस्थ कार्यालय को भी समुचित दिशा निर्देश प्रदान कर दिये जावें। यह वित्त विभाग की आई.डी. 162500921 से अनुमोदित है।

(दाताराम)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक प.5(1)साप्र/3/2011

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है--

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल।
2. अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/वरिष्ठ उप शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर सहित।
6. संयुक्त शासन सचिव, राजकीय उपक्रम विभाग।
7. समस्त राजकीय उपक्रम/निगम/बोर्ड/मण्डल/स्वायत्तशासी संस्थाएँ।
8. मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, राजस्थान परिमण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

